<u>न्यायालयः— न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला—अशोकनगर</u> (पीठासीन अधिकारीः—जफर इकबाल)

<u>फाइलिंग नंबर 235103001002015</u> <u>दांडिक प्रकरण क.-45/15</u> संस्थापित दिनांक-17.03.15

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।
अभियोजन
विरुद्ध
01—दीपचंद पुत्र गोपाल रजक उम्र 22 साल निवासी ग्राम बांस खेडी पोस्ट परवाह धरनावदा जिला गुना।
आरोपी
राज्य द्वारा :– श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.। आरोपी द्वारा :– श्री पठान अधिवक्ता।

—: <u>निर्णय</u> :— <u>(आज दिनांक 18.01.2017 को घोषित)</u>

- 01— आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपी के विरूद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 498ए, 323 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।
- 02- प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।
- 03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि आरोपी का फरियादी से राजीनामा हो गया है जिसके फलस्वरूप आरोपी को भादवि की धारा 323 के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है। यह निर्णय भादवि की धारा 498ए के संबंध में पारित किया जा रहा है।
- 04— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले की फरियादी यशोदा ने दिनांक 20.01.15 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि उसकी शादी 17.05.17 को हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार बांसखेडी के दीपचंद से हुई थी। शादी के चार—पांच माह बाद उसे उसका पित दहेज के लिए परेशान करने लगा और मोटरसाईकिल और नगदी मांगने लगा, खाने पीने नहीं देता था तथा मारपीट करता था। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 12/15 के अंतर्गत भादिव की धारा 498ए, 323 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
- 05— प्रकरण में आरोपी के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 498ए, 323 के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपी का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण नहीं किया गया।
- 06— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--

1. क्या आरोपी ने फरियादी यशोदा को उसकी शादी के चार—पांच महीने बाद से उसके पति होते हुए फरियादी से दहेज में मोटरसाईकिल व 20 हजार रुपये की मांग करके उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर कूरता कारित की ?

<u>—:: सकारण निष्कर्ष ::—</u>

07— अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 यशोदा, अ.सा. 02 भूरीबाई की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

अभियोजन साक्षी 01 यशोदा ने अपने कथन में बताया है कि आरोपी दीपचंद उसका पति है। उक्त साक्षी के अनुसार उसका उसके पति से घरेलू बातों को लेकर वाद विवाद हो गया था। उक्त साक्षी के अनुसार उसके पित ने कभी भी उससे दहेज की मांग नहीं की। उक्त साक्षी के अनुसार उसके द्वारा घटना की रिपोट प्रपी 01 लेखबद्ध कराई गई थी तथा घटनास्थल का नक्शामौका प्रपी 02 तैयार किया गया था। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी ने उससे दहेज की मांग की थी। उक्त साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया है कि आरोपी द्वारा उसके साथ मारपीट की गई थी। अ.सा. 02 भूरीबाई ने भी अपने कथन में बताया है कि उसकी लडकी का उसके पति से घरेलू बातों को लेकर वाद-विवाद हो गया था जिस पर से उसने आरोपी के विरुद्ध रिपोर्ट लेखबद्ध करा दी थी। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी उनकी लडकी से दहेज की मांग करता था। उक्त साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया है कि आरोपी द्वारा फरियादी के साथ मारपीट की गई। अभियोजन द्वारा उपरोक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी की साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। अभियोजन द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य से यह कहीं प्रमाणित नहीं होता कि आरोपी द्वारा फरियादी यशोदा को उसकी शादी के चार-पांच महीने बाद से दहेज में मोटरसाईकिल व 20 हजार रुपये की मांग करके उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर कूरता कारित की गई।

09— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपी को भादवि की धारा 498 ए के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

10— आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

11— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं है।

12— आरोपी अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द. प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया। मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.) (जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)